रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072023-247586 CG-DL-E-25072023-247586

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428]

No. 428]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2023/श्रावण 3, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2023/SHRAVANA 3, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 534(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) द्वितीय संशोधन नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के खंड (3) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 - "(4) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित विध्वंस प्रौद्योगिकियों को अपनाकर प्रशीतन एवं वातानुकूलन उपस्करों के विनिर्माण के दौरान सृजित प्रशीतक का सुरक्षित, जबावदेह और संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना।"
- 3. उक्त नियमों के, नियम 7 में, खंड (4) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित विध्वंस प्रौद्योगिकियों को अपनाकर पुराने प्रशीतन एवं वातानुकूलन उपस्करों से सृजित प्रशीतक का सुरक्षित, जबावदेह और संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना।"

4775 GI/2023 (1)

- 4. उक्त नियमों के, नियम 9 में, खंड (10) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(11) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पुराने प्रशीतन एवं वातानुकूलन उपस्करों से सृजित प्रशीतक का सुरक्षित, जबावदेह और संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना।"
- 5. उक्त नियमों के, नियम 14 में, उप-नियम (1) के, खंड (ii) के उप-खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(ग) पुनर्चक्रण के अनेक अंतिम उत्पादों के मामले में, संचालन समिति के अनुमोदन से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी या कुछ अंतिम उत्पादों के लिए सीपीसीबी द्वारा निर्धारित परिवर्तन कारकों के आधार पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र तैयार करने के लिए संपरिवर्तन कारक अवधारित किए जाएंगे।"
- 6. उक्त नियमों के नियम 16 में.-
- (क) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-
 - "(2) उप-नियम (1) के उपबंध, दिनांक 1 मई, 2014 से पहले बाजार में लाए गए अनुसूची-।। ख में विनिर्दिष्ट विद्युत एवं इलेक्ट्रोनिक उपस्करों के लिए अपेक्षित घटकों या उपभोज्य वस्तुओं या हिस्सों या पुर्जों पर लागू नहीं होंगे परंतु परिसंकटमय पदार्थों में कमी लाने के लिए अनुकूल हिस्से और पुर्जे उपलब्ध न हों।"
 - (2क) उप-नियम (1) के उपबंध, दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को अथवा उससे पहले बाजार में लाए गए अनुसूची-।। ग में विद्युत एवं इलेक्ट्रोनिक उपस्करों पर लागू नहीं होंगे।"
 - (2ख) उप-नियम (1) के उपबंध, दिनांक 1 अप्रैल, 2028 तक उप-नियम (2क) में निर्दिष्ट विद्युत एवं इलेक्ट्रोनिक उपस्करों के लिए अपेक्षित घटकों या उपभोज्य वस्तुओं या हिस्सों या पुर्जों पर लागू नहीं होंगे परंतु परिसंकटमय पदार्थों में कमी लाने के लिए अनुकुल हिस्से और पूर्जे उपलब्ध न हों।"
 - (ख) उप-नियम (3) और उप-नियम (13) में, "अनुसूची II" शब्दों के पश्चात्, "और अनुसूची II क" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- 7. उक्त नियमों की, अनुसूची-II की, सारणी में, क्रम संख्या 37 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
- 8. उक्त नियमों की, अनुसूची-II के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

''अनुसुची - ।। क

[नियम 16 (3), 16 (13) देखें]

अनुसूची-। में सूचीबद्ध चिकित्सा उपस्करों और प्रयोगशाला उपस्करों सिहत निगरानी और नियंत्रण उपस्करों के लिए विशिष्ट नियम 16 (1) के उप नियम 1 के उपबंधों से छूट प्राप्त आवेदन

क्र.सं.	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों की श्रेणियाँ
	आयनित विकिरण का उपयोग या पता लगाने वाले उपस्कर :
1.	आयनित विकिरण के लिए डिटेक्टरों में सीसा, कैडमियम और मरकरी।
2.	एक्स-रे ट्यूबों में सीसा बियरिंग्स।
3.	विद्युत-चुम्बकीय विकिरण प्रवर्धन उपस्करों में सीसा: सूक्ष्म चैनल प्लेट और केशिका प्लेट।
4.	एक्स-रे ट्यूब और इमेज इंटेंसिफायर के ग्लास फ्रिट में सीसा और गैस लेजर की असेंबली के लिए तथा वैक्यूम ट्यूब के लिए ग्लास फ्रिट बाइंडर में सीसा जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण को इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तित करता है।
5.	आयनित विकिरण के लिए परिरक्षण में सीसा।
6.	एक्स-रे परीक्षण वस्तुओं में सीसा।
7.	लेड स्टीयरेट एक्स-रे डिफ्रेक्शन क्रिस्टल।
8.	पोर्टेबल एक्स-रे प्रतिदीप्ति स्पेक्ट्रोमीटर के लिए रेडियोधर्मी कैडमियम आइसोटोप स्रोत।

	संवेदक, संसूचक, और इलेक्ट्रोड	
9.	पीएच इलेक्ट्रोड के ग्लास सहित आयन चयनात्मक इलेक्ट्रोड में सीसा और कैडमियम।	
10.	इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीजन सेंसर में सीसा एनोड।	
11.	अवरक्त प्रकाश संसूचकों में सीसा, कैडमियम और मरकरी।	
12.	संदर्भ इलेक्ट्रोड में पारा: कम क्लोराइड मरकरी क्लोराइड, मरकरी सल्फेट और मरकरी ऑक्साइड।	
	अन्य	
13.	हीलियम-कैडमियम लेजर में कैडमियम।	
14.	परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी लैंप में सीसा और कैडमियम।	
15.	एमआरआई में सुपरकंडक्टर और थर्मल कंडक्टर के रूप में मिश्र धातुओं में सीसा।	
16.	एमआरआई और स्क्विड संसूचकों में अतिचालक सामग्रियों के लिए धातु बंध में सीसा और कैडिमयम।	
17.	प्रतिभार में सीसा।	
18.	पराश्रव्य ऊर्जा परिवर्तक के लिए एकल क्रिस्टल पीज़ोइलेक्ट्रिक सामग्री में सीसा।	
19.	पराश्रव्य ऊर्जा परिवर्तक से जोड़ने के लिए सोल्डर में सीसा।	
20.	अति उच्च परिशुद्धता धारिता और हानि माप ब्रिजों में पारा तथा निगरानी और नियंत्रण उपकरणों में उच्च आवृत्ति आरएफ स्विच और रिले में पारा 20 मिलीग्राम पारा प्रति स्विच या रिले से अधिक नहीं।	
21.	पोर्टेबल आपातकालीन डिफिब्रिलेटर में सोल्डर में सीसा ।	
22.	8-14 µm की रेंज में पता लगाने के लिए उच्च प्रदर्शन वाले अवरक्त इमेजिंग मॉड्यूल के सोल्डर में सीसा ।	
23.	सिलिकॉन (एलसीओएस) डिस्प्ले पर लिक्किड क्रिस्टल में सीसा ।	
24.	एक्स-रे माप फिल्टर में कैडमियम।	

अनुसूची – II ख [नियम 16 (2) देखें]

विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की श्रेणियां, जिनमें उनके घटक, उपभोग्य वस्तुएं, भाग और पुर्जे शामिल हैं जो नियमों के अंतर्गत आते हैं।

क्रमांक	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की श्रेणियां	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर कोड
	सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उपस्कर:	
1.	केन्द्रीयकृत डाटा प्रसंस्करण : मेनफ्रेम, मिनी कंप्यूटर	आईटीईडब्ल्यू1
2.	व्यक्तिगत कंप्यूटिंग: व्यक्तिगत कंप्यूटर (इनपुट और आउटपुट युक्ति के साथ केन्द्रीय प्रसंस्करण यूनिट)	आईटीईडब्ल्यू2
3.	व्यक्तिगत कंप्यूटिंग: लैपटॉप कंप्यूटर (इनपुट और आउटपुट युक्ति के साथ केन्द्रीय प्रसंस्करण यूनिट)	आईटीईडब्ल्यू3
4.	व्यक्तिगत कंप्यूटिंग: नोटबुक कंप्यूटर	आईटीईडब्ल्यू4
5.	व्यक्तिगत कंप्यूटिंग: नोटपैड कंप्यूटर	आईटीईडब्ल्यू5
6.	कारतूस सहित प्रिंटर	आईटीईडब्ल्यू6
7.	कॉपी करने वाला उपकरण	आईटीईडब्ल्यू7
8.	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर	आईटीईडब्ल्यू8

9.	उपयोगकर्ता टर्मिनल और सिस्टम	आईटीईडब्ल्यू9
10.	प्रतिकृति	आईटीईडब्ल्यू10
11.	टेलेक्स	आईटीईडब्ल्यू11
12.	टेलीफोन	आईटीईडब्ल्यू12
13.	सशुल्क टेलीफोन	आईटीईडब्ल्यू13
14.	ताररहित टेलीफोन	आईटीईडब्ल्यू14
15.	सेलुलर टेलीफोन	आईटीईडब्ल्यू15
16.	आंसरिंग सिस्टम	आईटीईडब्ल्यू16
	उपभोक्ता विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटो वोल्टिक पैनल:	
17.	टेलीविजन सेट (तरल क्रिस्टल डिस्प्ले और प्रकाश उत्सर्जन डायोड टेक्नोलॉजी पर आधारित सेट सहित)	सीईईडब्ल्यू1
18.	फ्रिज	सीईईडब्ल्यू2
19.	कपड़े धोने की मशीन	सीईईडब्ल्यू3
20.	केन्द्रीयकृत एयर कंडीशर्निंग संयंत्रों से रहित एयर कंडीशनर	सीईईडब्ल्यू4
21.	फ्लोरोसेंट और अन्य पारा युक्त लैंप	सीईईडब्ल्यू5

अनुसूची – II ग [नियम 16 (2क) और 16 (2ख) देखें]

विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की श्रेणियां जिनमें उनके घटक, उपभोग्य वस्तुएं, भाग और पुर्जे शामिल हैं जो नियमों के अंतर्गत आते हैं।

क्रमांक	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की श्रेणियां	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर कोड
	सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उपस्कर:	
1.	दूरसंचार द्वारा ध्वनि, चित्र या अन्य जानकारी प्रसारित करने के उत्पाद या उपस्कर	आईटीईडब्ल्यू17
2.	बीटीएस (टॉवर की संरचना के अतिरिक्त सभी घटक)	आईटीईडब्ल्यू18
3.	टैबलेट, आई-पैड	आईटीईडब्ल्यू19
4.	फैबलेट	आईटीईडब्ल्यू20
5.	स्कैनर्स	आईटीईडब्ल्यू21
6.	राउटर्स	आईटीईडब्ल्यू22
7.	जीपीएस	आईटीईडब्ल्यू23
8.	यूपीएस	आईटीईडब्ल्यू24
9.	इंवर्टर	आईटीईडब्ल्यू25
10.	मोडेम	आईटीईडब्ल्यू26
11.	इलेक्ट्रॉनिक डेटा भंडारण उपकरण	आईटीईडब्ल्यू27
	उपभोक्ता विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटो वोल्टिक पैनल:	

12.	स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक फोटो फ्रेम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पैनल, मॉनिटर्स	सीईईडब्ल्यू6
13.	रेडियो सेट	सीईईडब्ल्यू7
14.	सेट टॉप बॉक्स	सीईईडब्ल्यू8
15.	वीडियो कैमरा	सीईईडब्ल्यू9
16.	वीडियो रिकॉर्डर	सीईईडब्ल्यू10
17.	हाई-फाई रिकॉर्डर	सीईईडब्ल्यू11
18.	ऑडियो एम्पलीफायर	सीईईडब्ल्यू12
19.	दूरसंचार द्वारा ध्विन और छिवि के वितरण के लिए सिग्नल और अन्य तकनीकों सिहत ध्विनया छिवियों को रिकॉर्ड करने या पुन: प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए अन्य उत्पाद या उपस्कर।	सीईईडब्ल्यू13
20.	सोलरपैनल/सेल्स, सोलरफोटोवोल्टिकपैनल/सेल्स/मॉड्यूल।	सीईईडब्ल्यू14
21.	घरों में ल्यूमिनेयर्स/प्रकाशग्रह को छोड़कर फ्लोरोसेंट लैंप के लिए ल्यूमिनेयर्स/प्रकाशग्रह	सीईईडब्ल्यू15
22.	उच्च तीव्रता वाले डिस्चार्ज लैंप, जिनमें दबाव वाले सोडियम लैंप और मेटल है लाइड लैंप शामिल हैं	सीईईडब्ल्यू16
23.	कम दबाव वाले सोडियम लैंप	सीईईडब्ल्यू17
24.	फिलामेंट बल्बों को छोड़कर प्रकाश को फैलाने या नियंत्रित करने के उद्देश्य से अन्य प्रकाशन या उपस्कर	सीईईडब्ल्यू18
25.	डिजिटल कैमरा	सीईईडब्ल्यू19
	बड़े और छोटे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर	
26.	बड़े शीतलन उपकरण	एलएसईईडब्ल्यू1
27.	फ्रीजर	एलएसईईडब्ल्यू2
28.	भोजन के प्रशीतन, संरक्षण और भंडारण के लिए प्रयुक्त अन्य बड़े उपकरण	एलएसईईडब्ल्यू3
29.	कपड़े सुखाने वाला	एलएसईईडब्ल्यू4
30.	बर्तन धोने की मशीनें	एलएसईईडब्ल्यू5
31.	बिजली से चलने वाले कुकर	एलएसईईडब्ल्यू6
32.	बिजली से चलने वाले चूल्हे	एलएसईईडब्ल्यू7
33.	बिजली की हॉट प्लेट्स	एलएसईईडब्ल्यू8
34.	माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन	एलएसईईडब्ल्यू9
35.	खाना पकाने और भोजन के अन्य प्रसंस्करण के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य बड़े उपकरण	एलएसईईडब्ल्यू10
36.	इलेक्ट्रिक हीटिंग उपकरण	एलएसईईडब्ल्यू11
37.		एलएसईईडब्ल्यू12
	इलेक्ट्रिक रेडिएटर	7/17/1883-12
38.	कमरे, बिस्तर, बैठने के फर्नीचर को गर्म करने के लिए अन्य बड़े उपकरण	एलएसईईडब्ल्यू13
		•
38.	कमरे, बिस्तर, बैठने के फर्नीचर को गर्म करने के लिए अन्य बड़े उपकरण	एलएसईईडब्ल्यू13

42.	कालीन साफ़ करने वाला	एलएसईईडब्ल्यू17
43.	सफाई के लिए अन्य उपकरण	एलएसईईडब्ल्यू18
44.	कपड़ा की सिलाई, बुनाई, बिनाई और अन्य प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण।	एलएसईईडब्ल्यू19
45.	इस्त्री, मैंगलिंग और कपड़ों की अन्य देखभाल के लिए इस्त्री और अन्य उपकरण।	एलएसईईडब्ल्यू20
46.	ग्राइंडर, कॉफी मशीन और कंटेनर या पैकेज खोलने या बंद करने के लिए उपकरण।	एलएसईईडब्ल्यू21
47.	स्मोक डिटेक्टर	एलएसईईडब्ल्यू22
48.	हीटिंग रेगुलेटर	एलएसईईडब्ल्यू23
49.	ऊष्मा तापी	एलएसईईडब्ल्यू24
50.	गर्म पेय के लिए स्वचालित डिस्पेंसर	एलएसईईडब्ल्यू25
51.	गर्म या ठंडी बोतलों या कैन के लिए स्वचालित डिस्पेंसर	एलएसईईडब्ल्यू26
52.	ठोस उत्पादों के लिए स्वचालित डिस्पेंसर	एलएसईईडब्ल्यू27
53.	पैसों के लिए स्वचालित डिस्पेंसर	एलएसईईडब्ल्यू28
54.	सभी उपकरण जो स्वचालित रूप से सभी प्रकार के उत्पाद वितरित करते हैं	एलएसईईडब्ल्यू29
55.	भीतरी एयर प्यूरीफायर	एलएसईईडब्ल्यू30
56.	हेयरड्रायर	एलएसईईडब्ल्यू31
57.	इलेक्ट्रिक शेवर	एलएसईईडब्ल्यू32
58.	इलेक्ट्रिक केतली	एलएसईईडब्ल्यू33
59.	इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पैनल/बोर्ड/विजुअल डिस्प्ले यूनिट	एलएसईईडब्ल्यू34
	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (बड़े पैमाने पर स्थिर औद्योगिक उपकरण की आपत्तियों के साथ)	
60.	<u>ड्र</u> िल	ईईटीडब्ल्यू1
61.	आरी	ईईटीडब्ल्यू2
62.	सिलाई मशीनें	ईईटीडब्ल्यू3
63.	लकड़ी, धातु और अन्य सामग्रियों के टर्निंग, मिलिंग, सैंडिंग, पीसने, चीरने, काटने, कतरने, ड्रिलिंग, छेद बनाने, छिद्रण, तह करने, झुकने या समान प्रसंस्करण के लिए उपकरण	ईईटीडब्ल्यू4
64.	रिवेटिंग, नेलिंग या स्क्रूइंग या रिवेट्स, कीलें, स्क्रू को निकालने या इसी तरह के उपयोगों के लिए उपकरण	ईईटीडब्ल्यू5
65.	वेल्डिंग, सोल्डरिंग या इसी तरह के उपयोग के लिए उपकरण	ईईटीडब्ल्यू6
66.	अन्य तरीकों से छिड़काव, प्रसार, फैलाव या अन्य माध्यम से तरल या गैसीय पदार्थ के अन्य उपचार के लिए उपकरण	ईईटीडब्ल्यू7
67.	घास काटने या अन्य बागवानी गतिविधियों के लिए उपकरण	ईईटीडब्ल्यू8
	खिलौने, सुविधानुसार और खेल उपस्कर	टीएलएसई डब्ल्यू1
68.	विद्युत रेलगाड़ियाँ या कार रेसिंग सेट	टीएलएसई डब्ल्यू2
69.	हाथ से पकड़े जाने वाले वीडियो गेम कंसोल	टीएलएसई डब्ल्यू3
	I	I

70.	वीडियो गेम	टीएलएसई डब्ल्यू4
71.	बाइक चलने, डुबकी लगाने, दौड़ने, नाव खेने आदि के लिए कंप्यूटर।	टीएलएसई डब्ल्यू5
72.	बिजली या इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों सहित खेल उपस्कर	टीएलएसई डब्ल्यू6
73.	सिक्का खांचा मशीनें	टीएलएसई डब्ल्यू7
	चिकित्सा उपस्कर (सभी प्रत्यारोपित और संक्रमित उत्पादों को छोड़कर)	
74.	रेडियोथेरेपी उपस्कर और सहायक उपस्कर	एमडीडब्ल्यू1
75.	कार्डियोलॉजी उपस्कर और सहायक उपस्कर	एमडीडब्ल्यू2
76.	डायलिसिस उपस्कर और सहायक उपस्कर	एमडीडब्ल्यू3
77.	पल्मोनरी वेंटिलेटर और सहायक उपस्कर	एमडीडब्ल्यू4
78.	परमाणु चिकित्सा उपस्कर और सहायक उपस्कर	एमडीडब्ल्यू5
79.	इन विट्रो निदान के लिए प्रयोगशाला उपस्कर और सहायक उपस्कर	एमडीडब्ल्यू6
80.	विश्लेषक और सहायक उपस्कर	एमडीडब्ल्यू7
81.	मैग्नेटिक रेज़नन्स इमेजिंग (एमआरआई), पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पीईटी) स्कैनर, कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी) स्कैनर, और सहायक उपस्कर के साथ अल्ट्रासाउंड उपस्कर	एमडीडब्ल्यू8
82.	फर्टलिज़ेशन परीक्षण और सहायक उपस्कर	एमडीडब्ल्यू9
83.	अन्य बिजली के उपस्कर/ उपस्कर/िकट जो मोबाइल सिहत बीमारी, बीमारी, विकार, पीड़ा, संक्रमण, चोट, आघात, दुर्व्यवहार या विकलांगता को रोकने, जांच करने, पता लगाने, निगरानी, मूल्यांकन, समीक्षा, जांच, जांच, जांच, इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं, टैबलेट या कोई अन्य उपकरण जिसमें लैंगिकता चयन और उनके सहायक उपकरण की क्षमता है	एमडीडब्ल्यू10
	प्रयोगशाला के उपस्कर	
84.	गैस विश्लेषक	एलआईडब्ल्यू1
85.	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों वाले उपस्कर	एलआईडब्ल्यू2".

[फा.सं. 12/136/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्याक सा.का.नि. 801(अ), तारीख 2 नवंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, तत्पश्चात् संख्याक सा.का.नि. 61(अ), तारीख 30 जनवरी, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 24 July, 2023

G.S.R.534(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the E-Waste (Management) Rules, 2022, namely:

- 1. (1) These rules may be called E-Waste (Management) Second Amendment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- **2.** In the E-Waste (Management) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5, after clause (3), the following clause shall be inserted, namely: -
 - " (4) ensure secure, accountable and sustainable management of refrigerant generated during the manufacture of refrigeration and air-conditioning equipment by adopting approved destruction technologies as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board.".
- 3. In rule 7 of the said rules, after clause (4), the following clause shall be inserted, namely: -
 - "(5) ensure secure, accountable and sustainable management of refrigerant generated from the end-of life refrigeration and air-conditioning equipment by adopting approved destruction technologies as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board.".
- **4.** In rule 9 of the said rules, after clause (10), the following clause shall be inserted, namely: -
 - "(11) ensure secure, accountable and sustainable management of refrigerant generated from the end-of life refrigeration and air-conditioning equipment by adopting approved destruction technologies as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board.".
- **5.** In rule 14 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (ii), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely: -
 - "(c) In case of multiple end products of recycling, the conversion factor for generation of extended producer responsibility certificate shall be determined as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee.".
- **6.** In rule 16 of the said rules. -
- (a) for sub-rule (2), the following sub-rules shall be substituted, namely: -
 - "(2) The provisions of sub-rule (1) shall not apply to components or consumables or parts or spares required for electrical and electronic equipment specified in Schedule II B placed in the market on or before the 1st May, 2014 provided reduction of hazardous substances compliant parts and spares are not available.
 - (2A) The provisions of sub-rule (1) shall not apply to electrical and electronic equipment specified in Schedule II C placed in the market on or before the 1st April, 2025.
 - (2B) The provisions of sub-rule (1) shall not apply to components or consumables or parts or spares required for electrical and electronic equipment referred in sub-rule (2A) till the 1st April, 2028, provided reduction of hazardous substances compliant parts and spares are not available.".
- (b) in sub-rule (3) and sub-rule (13), after the words "Schedule II", the words "and Schedule II A" shall be inserted.
- 7. In Schedule-II to the said rules, in the Table, S.No. 37 and the entries relating thereto shall be omitted.
- **8.** After Schedule II to the said rules, the following Schedules shall be inserted, namely: -

"Schedule-II A

[See rules 16(3), 16(13)]

Applications exempted from the provisions of sub-rule 1 of rule 16 specific to medical devices and monitoring and control instruments including laboratory equipment as listed in Schedule - I

Sl. No.	Categories of electrical and electronic equipment
	Equipment utilising or detecting ionising radiation:
1.	Lead, cadmium and mercury in detectors for ionising radiation.
2.	Lead bearings in X-ray tubes.

3.	Lead in electromagnetic radiation amplification devices: micro-channel plate and capillary plate.
4.	Lead in glass frit of X-ray tubes and image intensifiers and lead in glass frit binder for assembly of gas lasers and for vacuum tubes that convert electromagnetic radiation into electrons.
5.	Lead in shielding for ionising radiation.
6.	Lead in X-ray test objects.
7.	Lead stearate X-ray diffraction crystals.
8.	Radioactive cadmium isotope source for portable X-ray fluorescence spectrometers.
	Sensors, detectors and electrodes
9.	Lead and cadmium in ion selective electrodes including glass of pH electrodes.
10.	Lead anodes in electrochemical oxygen sensors.
11.	Lead, cadmium and mercury in infra-red light detectors.
12.	Mercury in reference electrodes: low chloride mercury chloride, mercury sulphate and mercury oxide.
	Others
13.	Cadmium in helium-cadmium lasers.
14.	Lead and cadmium in atomic absorption spectroscopy lamps.
15.	Lead in alloys as a superconductor and thermal conductor in MRI.
16.	Lead and cadmium in metallic bonds to superconducting materials in MRI and SQUID detectors.
17.	Lead in counterweights.
18.	Lead in single crystal piezoelectric materials for ultrasonic transducers.
19.	Lead in solders for bonding to ultrasonic transducers.
20.	Mercury in very high accuracy capacitance and loss measurement bridges and in high frequency RF switches and relays in monitoring and control instruments not exceeding 20 mg of mercury per switch or relay.
21.	Lead in solders in portable emergency defibrillators.
22.	Lead in solders of high performance infrared imaging modules to detect in the range 8-14 μm.
23.	Lead in Liquid crystal on silicon (LCoS) displays.
24.	Cadmium in X-ray measurement filters.

SCHEDULE - II B

[See rule 16 (2)]

Categories of electrical and electronic equipment including their components, consumables, parts and spares covered under the rules

Sl. No.	Categories of electrical and electronic equipment	Electrical and electronic equipment code
	Information technology and telecommunication equipment:	
1.	Centralized data processing: Mainframes, Minicomputers	ITEW1

Personal Computing: Personal Computers (Central Processing unit with input and output devices)	ITEW2
Personal Computing: Laptop Computers (Central Processing unit with input and output devices)	ITEW3
Personal Computing: Notebook Computers	ITEW4
Personal Computing: Notepad Computers	ITEW5
Printers including cartridges	ITEW6
Copying Equipment	ITEW7
Electrical and Electronic Typewriters	ITEW8
User terminal and Systems	ITEW9
Facsimile	ITEW10
Telex	ITEW11
Telephones	ITEW12
Pay telephones	ITEW13
Cordless telephones	ITEW14
Cellular telephones	ITEW15
Answering System	ITEW16
Consumer Electrical and Electronics and Photovoltaic Panels:	
Television sets (including sets based on Liquid Crystal Display and light Emitting Diode Technology)	CEEW1
Refrigerator	CEEW2
Washing Machine	CEEW3
Air- Conditioners excluding centralised air conditioning plants	CEEW4
Fluorescent and other Mercury containing lamps	CEEW5
	and output devices) Personal Computing: Laptop Computers (Central Processing unit with input and output devices) Personal Computing: Notebook Computers Personal Computing: Notepad Computers Printers including cartridges Copying Equipment Electrical and Electronic Typewriters User terminal and Systems Facsimile Telex Telephones Pay telephones Cordless telephones Cellular telephones Answering System Consumer Electrical and Electronics and Photovoltaic Panels: Television sets (including sets based on Liquid Crystal Display and light Emitting Diode Technology) Refrigerator Washing Machine Air- Conditioners excluding centralised air conditioning plants

SCHEDULE – II C

[See rules 16 (2A) and 16 (2B)]

Categories of electrical and electronic equipment including their components, consumables, parts and spares covered under the rules

	Categories of electrical and electronic equipment	Electrical and electronic equipment code
	Information technology and telecommunication equipment:	
1.	Products or equipment of transmitting sound, images or other information by telecommunications	ITEW17
2.	BTS (all components excluding structure of tower)	ITEW18
3.	Tablets, I-PAD	ITEW19
4.	Phablets	ITEW20
5.	Scanners	ITEW21

6.	Routers	ITEW22
7.	GPS	ITEW23
8.	UPS	ITEW24
9.	Inverter	ITEW25
10.	Modems	ITEW26
11.	Electronic data storage devices	ITEW27
	Consumer Electrical and Electronics and Photovoltaic Panels:	
12.	Screen, Electronic Photo frames, Electronic Display Panel, Monitors	CEEW6
13.	Radio sets	CEEW7
14.	Set top Boxes	CEEW8
15.	Video Cameras	CEEW9
16.	Video Recorders	CEEW10
17.	Hi-Fi Recorders	CEEW11
18.	Audio Amplifiers	CEEW12
19.	Other products or equipment for the purpose of recording or reproducing sound or images including signals and other technologies for the distribution of sound and image by telecommunications	CEEW13
20.	Solar panels/cells, solar Photovoltaic panels/cells/modules.	CEEW14
21.	Luminaires for fluorescent lamps with the exception of luminaires in households	CEEW15
22.	High intensity discharge lamps, including pressure sodium lamps and metal halide lamps	CEEW16
23.	Low pressure sodium lamps	CEEW17
24.	Other lighting or equipment for the purpose of spreading or controlling light excluding filament bulbs	CEEW18
25.	Digital camera	CEEW19
	Large and Small Electrical and Electronic Equipment	
26.	Large cooling appliances	LSEEW1
27.	Freezers	LSEEW2
28.	Other large appliances used for refrigeration, conservation and storage of food	LSEEW3
29.	Clothes dryers	LSEEW4
30.	Dish Washing Machines	LSEEW5
31.	Electric cookers	LSEEW6
32.	Electric stoves	LSEEW7
33.	Electric hot plates	LSEEW8
34.	Microwaves, Microwave Oven	LSEEW9
35.	Other large appliances used for cooking and other processing of food	LSEEW10
36.	Electric heating appliances	LSEEW11
37.	Electric radiators	LSEEW12
38.	Other large appliances for heating rooms, beds, seating furniture	LSEEW13

39.	Electric fans	LSEEW14
40.	Other fanning, exhaust ventilation and conditioning equipment	LSEEW15
41.	Vacuum cleaners	LSEEW16
42.	Carpet sweepers	LSEEW17
43.	Other appliances for cleaning	LSEEW18
44.	Appliances used for sewing, knitting, weaving and other processing for textiles	LSEEW19
45.	Iron and other appliances for ironing, mangling and other care of clothing	LSEEW20
46.	Grinders, coffee machines and equipment for opening or sealing containers or packages	LSEEW21
47.	Smoke detector	LSEEW22
48.	Heating Regulators	LSEEW23
49.	Thermostats	LSEEW24
50.	Automatic dispensers for hot drinks	LSEEW25
51.	Automatic dispensers for hot or cold bottles or cans	LSEEW26
52.	Automatic dispensers for solid products	LSEEW27
53.	Automatic dispensers for money	LSEEW28
54.	All appliances which deliver automatically all kinds of products	LSEEW29
55.	Indoor air purifier	LSEEW30
56.	Hair dryer	LSEEW31
57.	Electric shaver	LSEEW32
58.	Electric kettle	LSEEW33
59.	Electronic display panels/board/visual display unit	LSEEW34
	Electrical and Electronic Tools (With the exception of large- Scale Stationary Industrial Tools)	
60.	Drills	EETW1
61.	Saws	EETW2
62.	Sewing Machines	EETW3
63.	Equipment for turning, milling, sanding, grinding, sawing, cutting, shearing, drilling, making holes, punching, folding, bending or similar processing of wood, metal and other materials	EETW4
64.	Tools for riveting, nailing or screwing or removing rivets, nails, screws or similar uses	EETW5
65.	Tools for welding, soldering, or similar use	EETW6
66.	Equipment for spraying, spreading, dispersing or other treatment of liquid or gaseous substance by other means	EETW7
67.	Tools for mowing or other gardening activities	EETW8
	Toys, Leisure and Sports Equipment	
68.	Electrical trains or car racing sets	TLSEW1
69.	Hand-held video games consoles	TLSEW2
70.	Video games	TLSEW3

71.	Computers for biking, diving, running, rowing, etc.	TLSEW4
72.	Sports equipment with electric or electronic components	TLSEW5
73.	Coin slot machines	TLSEW6
	Medical Devices (With the Exception of All Implanted and Infected Products)	
74.	Radiotherapy equipment and accessories	MDW1
75.	Cardiology equipment and accessories	MDW2
76.	Dialysis equipment and accessories	MDW3
77.	Pulmonary ventilators and accessories	MDW4
78.	Nuclear Medicine Equipment and accessories	MDW5
79.	Laboratory equipment for in vitro diagnosis and accessories	MDW6
80.	Analysers and accessories	MDW7
81.	Magnetic Resonance Imaging (MRI), Positron Emission Tomography (PET) Scanner, Computed Tomography (CT) Scanner, & Ultrasound Equipment along with accessories	MDW8
82.	Fertilization tests equipment and accessories	MDW9
83.	Other electric appliances/equipment/kits used for preventing, screening, detecting, monitoring, evaluating, reviewing, examining, investigating, probing, treating illness sickness, disease, disorder, affliction, infection, injury, trauma, abuse or disability including the Mobiles, Tablets or any other device with the features having the potential of sex selection and their accessories	MDW10
	Laboratory Instruments	
84.	Gas analyser	LIW1
85.	Equipment having electrical and electronic components	LIW2".

[F. No. 12/136/2021-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note:

The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 801(E), dated the 2nd November, 2022, subsequently amended *vide* number G.S.R. 61 (E), dated the 30th January, 2023.